कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कक्ष–संरक्षण)

तृतीय तल, ए. ब्लाक वन भवन,तुलसीनगर भोपाल मध्यप्रदेश
Tel. (Office)2674212,2551450(Fax) 2551450, Email:apccfprot@mp.gov.in

क्रमांक / वन अपराध / 2025–26 / 10–10 / 2309 भोपाल, दिनाक 30 / 05 / 2025

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन सरंक्षक (क्षेत्रीय)
   वन वृत्त मध्यप्रदेश
2. समस्त क्षेत्र संचालक
   टाईगर रिजर्व मध्यप्रदेश
3. समस्त वन मण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय)
   वन मण्डल मध्यप्रदेश

विषयः– वाहनों की राजसात प्रकिया को त्वरित ढंग से पूर्ण करने बाबत्।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / सम / सुरक्षा / 1211 दिनांक 22.6.87, क्रमांक 3132 दिनांक 3.11.2001, 1127 दिनांक 23 / 07 / 2002,1291 दिनांक 26 / 04 / 2005, 4154 दिनांक 22 / 12 / 2008, क्रमांक 2015 / 1910 दिनांक 22.5.2015. म.प्र.शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक / 238 / 4573 / 10 / 2 / 91 दिनांक 10.01.1992

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक 4 / 2 / 1 / 0007 / 2025 / **Sec-2-10/(FOR)** दिनांक 15 / 04 / 2025 (छायप्रति संलग्न) अनुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लेख कर अवगत कराया गया है कि राजासात वाहनों की नीलामी समय सीमा में नही करने से लाखों रूपये के सामान चोरी होने एवं समय सीमा में वाहनों की नीलामी की जाती है तो शासन के खजाने में करोड़ों, अरबों रूपये जमा हो सकेंगे। कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे।

क्षेत्रीय परीक्षण में यह पाया गया है कि विभिन्न अधिनियमों में वाहनों के राजसात के प्रकरण की समय सीमा निर्धारित नहीं होने के कारण प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इस न्यायिक प्रक्रिया में काफी समय लिया जा रहा है। कुछ प्रकरणों में. दो वर्ष से भी अधिक का समय राजसात प्रक्रिया को पूर्ण करने में लगा है, जबकि यह होना चाहिये कि न्यायिक प्रक्रिया के पालन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यह समाधान होने पर कि वन अपराध हुआ है और किया गया वन अपराध पेटीअफेंस नहीं है तो वह वन अपराध प्रकरण की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को नियमानुसार अधिहरण करने की कार्यवाही की सूचना यथाशीघ्र भेजेगा ताकि वाहन मालिक एवं अधिकारिता रखने वाले वाहन चालक को भी अधिहरण की कार्यवाही प्रारम्भ करने की सूचना यथाशीघ्र दी जा सके। जप्त वाहन के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा सुनवाई हेतु जप्ती के कुछ

समय पश्चात् तिथि निर्धारित कर जप्तीकर्ता, वाहन चालक, वाहन मालिक तथा वाहन पर अधिकारिता रखने वाले को सुनवाई की तिथि व समय पर उपस्थित होने की सूचना दी जाये, जिसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति भी आवश्यक रूप से नस्ती में रखें। निर्धारित तिथि को संबंधित व्यवित्तयों के उपस्थित न होने पर एक और अंतिम अवसर देते हुये तिथि निर्धारित की जाकर संबंधितों को सूचित किया जाये। सुनवाई के समय जप्तीकर्ता से पूछताछ कर वाहन मालिक को बचाव उत्तर प्रस्तुत करने का समय दिया जाये तथा वाहन मालिक यदि लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है तो उसे प्राप्त कर उसके द्वारा प्रस्तुत बचाव साक्ष्य यदि कोई हो तो का परीक्षण किया जाये ।

इस प्रकार समस्त विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुये जनहित में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि राजसात की प्रक्रिया अधिकतम 3 माह में पूर्ण हो जाये। यदि किन्हीं कारणों से प्रकरण में 3 माह से अधिक समय लगना सम्भावित है तो प्रकरण में विलम्ब के कारणों को दर्शाते हुये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजसात की प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु अनुमानित समय सीमा का विवरण देते हुये उसके एक्सटेंशन हेतु स्वीकृति वन मण्डलाधिकारी की अनुशंसा पर अपीलीय अधिकारी से मांगी जाना चाहिये । यह उचित होगा कि वन मण्डलाधिकारी अपने क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले राजसात प्रकरणों की प्रक्रिया को त्वरित ढंग से करने हेतु समीक्षा प्रत्येक 3 माह में करेंगे । यदि विलम्ब हेतु प्राधिकृत अधिकारी जिम्मेदार रहा है तो इस हेतु उन्हें अपने स्तर से उचित निर्देश प्रसारित करेंगे । एक बार एक्सटेंशन मिलने के बाद यदि पुनः अवधि बढ़ाने की आवश्यकता होती है तो प्राधिकृत अधिकारी, कारणों का विवरण देते हुये एक्सटेंशन हेतु अपीलीय अधिकारी से स्वीकृति मांग सकेंगे, किन्तु आपरिहार्य कारणों को छोड़कर 2 बार से अधिक एक्सटेंशन नहीं किया जाना चाहिये किसी भी दशा में राजसात की प्रकिया 6 माह में पूर्ण होनी चाहिये ।

जैसे ही वाहन अंतिम रूप से राजसात होता है तथा वाहन शासकीय उपयोग हेतु अनुपयोगी पाया जाता है, तो म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक/238 /4573/10/2/91 दिनांक 10.01.1992 के अनुसार वाहन का अवरोध मूल्य का निर्धारण किया जाये ताकि निविदा की पूरी प्रक्रिया राजसात के आदेश पारित होने के दिनांक से 4 माह के अंदर पूर्ण किया जा सके। 3

वाहन के राजसात की कार्यवाही एवं प्रकरण का प्रशमन अथवा न्यायालय में चालान की प्रस्तुति दोनों भिन्न–भिन्न कार्यवाही हैं, अतः वन अपराध के प्रकरण में लिप्त वन अपराधी से राजीनामा लेकर प्रशमन की कार्यवाही या न्यायालय में प्रस्तुतीकरण करने की कार्यवाही पृथक से की जाय तथा वाहन को राजसात करने की कार्यवाही समानान्तर रुप से की जानी चाहिए ।

यदि प्राधिकृत अधिकारी व्दारा सुनवाई के उपरान्त वाहन को निर्मुक्त किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी अपने आदेश में इस बात का लेख करे कि वन संरक्षक/अपीलीय अधिकारी व्दारा स्वमेव कार्यवाही की सीमा समाप्त होने तक वाहन, मालिक को नहीं दिया जावे, ताकि वन संरक्षक व्दारा स्वमेव कार्यवाही के दौरान वाहन विभाग के आधिपत्य में ही रहे ।

भारतीय वन अधिनियम में और म.प्र. वनोपज व्यापार विनियम अधि. में जप्तशुदा संपत्ति को सुपुर्दनामें में छोड़ने का अधिकार नहीं है । भारतीय वन अधि. की धारा 52 के तहत केवल ऐसी परिस्थितियों में जबकि वन अपराध प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत करना प्रस्तावित हो ऐसे मुचकले पर कि ऐसे वाहनों अथवा औजार न्यायालय द्वारा मांग किए जाने पर उनके समक्ष प्रस्तुत किए जावे । सुपुर्दना में पर केवल वन क्षेत्रपाल और उनके उच्च अधिकारी को छोडने के अधिकार है । सुपुर्दनामें पर देने की कार्यवाही केवल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रावधान के तहत ही की जा सकेगी ।

कोई भी प्रचलित वाहन यदि वन अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसे जप्त किया जावेगा कोई भी वनाधिकारी ऐसे वाहन को जप्त करने अथवा न करने के संबंध में अपने विवेक का उपयोग नहीं करेंगें, चाहे वन अपराध साधारण अथवा गंभीर हो ।

जो भी स्वचलित वाहन वन अपराध में लिप्त होने के फंलस्वरूप जप्त किया जाता है, उसे सुपुर्दनामे पर नहीं छोडा जावेगा । केवल ऐसी बस जिसमें यात्री बैठे हों यात्रियों को असुविधा न हो सुपुर्दनामे पर छोडा जा सकेगा परंतु ऐसे वाहन के संबंध में वन अपराध पंजीबद्ध की पूर्ण वैधानिक कार्यवाही की जावेगी । और बस को निर्धारित मुचकले पर ही छोड़ा जावेगा ।

एक बार पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप प्रत्येक माह जप्त किये गये वाहनों से संबंधित प्रकरणों की स्वतः समीक्षा करें एवं प्रकरणों का निराकरण वैधानिक तरीके से किया जा रहा है यह सुनिश्चत करें। सर्व प्रथम कृपया पिछले एक वर्ष में जप्त किये गये सभी वाहनों के प्रकरणों की समीक्षा करते हुये जिन प्रकरणों में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपराधियों को अनावश्यक लाभ दिया गया स्पष्ट होता है उनके विरुद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करें !

यदि अभी भी स्थिति में सुधार नहीं होता है तो वन वृत्त के भरसाधक वन संरक्षकों को भी व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

इस कार्यालय के संदर्भाकित पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि वन अपराधों में लिप्त होने के कारण जप्त किये गये वाहनों के राजसात की कार्यवाही 3 माह के अन्दर पूर्ण की जाय। कृपया आप लोग इन निर्देशों के पालन की समीक्षा करें एवं सुनिश्चित करें कि राजसात की कार्यवाही में अनावश्यक विलंब न हो। साथ ही यह भी देखें कि जप्त किये गये वाहन, राजसात प्रक्रिया में विलंब होने से, या राजसात होने के उपरान्त अनावश्यक खराब न हों ताकि उनके विक्रय से उचित मूल्य प्राप्त हो सके । कृपया आप अपने अधिनस्थ कार्यालयों को कड़े निर्देश जारी करें कि राजसात वाहनों के निर्वतन की प्रक्रिया सतत् रुप से की जाय एवं जैसे ही कोई वाहन अंतिम रुप से राजसात हो जाता है तो उसे शासकीय उपयोग में लेने या उसके विक्रय से निर्वतन की कार्यवाही अविलंब की जाय ।

प्रत्येक वन वृत्त में राजसात शुदा वाहनों के अवरोध मूल्य निर्धारित करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जावेगाः–

(अ) संबंधित वन वृत्त के वन संरक्षक	अध्यक्ष
(ब) जिस वन मंडल के अंतर्गत वाहन किन्ही भी दो वन मंडल के वन अधिकारी	सदस्य
(स) लोक निर्माण विभाग(ई एंड एम) या सिंचाई विभाग (ई एंड एम) के प्रतिनिधि(कम से कम कार्यपालन यंत्री स्तर के)	सदस्य
(द) वन मंडलाधिकारी जिसके क्षेत्र में वाहन राजसात किये गये हैं	सदस्य सचिव

यह भी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि कभी कभी प्राधिकृत अधिकारियों व्दारा जानबूझ कर त्रुटिपूर्ण प्रकिया अपना कर वाहन छोड़ दिये जाते हैं। वन संरक्षकों व्दारा ऐसे सहायक वन संरक्षकों के विरुद्व यह मानकर कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की जाती है कि यह एक Quasi judicial प्रकिया है। यह धारणा सही नहीं है। कृपया सर्व संबंधित को सूचित करें कि यदि प्राधिकृत अधिकारी व्दारा कार्यवाही में जानबूझ कर नियमों/प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता या जानबूझ कर तथ्यों व परिस्थितियों को नजर अंदाज कर निर्णय लिया जाता है तो उनके विरुद्व सेवा नियमों के अन्तर्गत प्रकियानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे । इस परिप्रेक्ष्य में आपके व्दारा वाहन मुक्त किये जाने के प्रत्येक प्रकरण की गंभीरता से समीक्षा किया जाना अति आवश्यक है ।

कृपया यह भी सुनिश्चित किया जावे कि राजसात के प्रत्येक आदेश एवं अपील के निर्णय की प्रतिलिपि इस कार्यालय को भी दी जावे।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में जिन वन वृत्तों में अंतिम रूप से राजसात किये गये वाहन शासकीय उपयोग में लाये जा रहे हैं उसकी जानकारी निम्नलिखित प्रपत्र में शीघ्र भेजी जावे-

प्रपत्र

अ. क्र.	वाहन का नाम	प्रकार	नंबर	निर्माण वर्ष	जप्ती दिनांक	अंतिम रूप से राजसात करने का कमांक व दिनांक	शासकीय उपयोग में लाने का आदेश कमांक व दिनांक	वर्तमान उपयोग(वन चौकी, वन परिक्षेत्र, वन मण्डल या अन्यत्र)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

28.05.2025

(असीम श्रीवास्तव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
मध्यप्रदेश भोपाल